न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–164/2001 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

1. घुर्रू पुत्र मूला जाति फौजदार निवासी ग्राम जाटौली थून तहसील डीग।
   1/1. अतर सिंह } पिसरान घुर्रू जाति फौजदार नि0 ग्राम जाटौली थून तहसील डीग।
   1/2. बनवारी }

......................अपीलाण्ट

बनाम

1. सूपरिया पुत्र नत्थी
2. लच्छी } पिसरान गोरधन
3. राजेन्द्र }
4. मोती पुत्र नत्थी
5. छीतरिया }
6. नवल } पिसरान पदम
7. कुन्दन }
8. रतीराम }
9. फत्ते }
10. मान सिंह } पिसरान मंगल
11. विजय सिंह }
12. विजेन्द्र }
13. करन }
14. शिव सिंह } पिसरान जगराम
15. सुक्खा }
16. बदन }
17. मुस0 चम्पा वेवा दलगंजी
18. समय सिंह }
19. बौलीराम (मृतक) } पिसरान भम्बू
    19/1. रोहताश पुत्र बौलीराम
20. महावीर पिसरान भम्बू
21. सुल्तान }
22. श्याम सिंह } पिसरान रघुवीर
23. चतरी }
24. हीरा }
25. धन्ना } पिसरान कुन्दन
26. मटेर }
27. नत्थी पुत्र राम सिंह

} (क्रमांक 1 से 27) जाति फौजदार निवासी ग्राम जाटौली थून, डीग।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28. जसमत पुत्र चरनी
29. पांच्या पुत्र कलुआ
30. दामो पुत्र किशन (मृतक)
    30/1. झण्डा सिंह } पिसरान दामो
    30/2. सुकत
31. राजपाल } पिसरान किशन
32. रूग्गी
33. किशोर } पिसरान परमा
34. सूरज
35. रूपी

} जाति फौजदार निवासी ग्राम जाटौली थून, डीग।

36. प्रभू पुत्र भीमा जाति जाट निवासी ग्राम मुढेरा तहसील नगर।
37. मुस0 सुखिया वेवा घमतू पुत्र भगवान।
38. नन्दली } पिसरान बदले जाति कुम्हार नि0 ग्राम गंगावक तह0 नगर।
39. गंगाधर
40. जयश्री पुत्र किशोरी जाति फौजदार नि0 ग्राम नगला परसराम मजरा जाटौली थून तह0 डीग।

.... असल रेस्पोडेण्ट

41. गोकल
42. सीयाराम
43. कप्तान
44. हरीराम

} पिसरान तेज सिंह जाति फौजदार(ठाकुर) नि0 ग्राम जाटौली थून तह0 डीग।

......................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारो) डीग प्र0स0 204/88 उनवानी घुर्रू बनाम सूपरिया।

अभिभाषकगण :–

1. श्री अनिल कुमार गुप्ता अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय   दिनांक :– 25.10.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीग के निर्णय व डिक्री दिनाक 30.11.2000 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट संख्या 01 व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 41 लगायत 44 ने प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरूद्ध एक वाद बाबत् उद्घोषणा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जाटौली थ्न तहसील डीग के वादी/अपीलाण्ट संख्या 01 व तरतीवी रैस्पो0 निस्फ–निस्फ भाग के खातेदार काश्तकार हैं व अरसे दराज से अपने पूर्वजा के सामने से ही विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादी/रैस्पो0 ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी को खिलाफ मौका व कब्जा अपने नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन्द्राज करा लिया। अतः वाद प्रस्तुत कर दौराने बन्दोबस्त हुये गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा हाल इन्द्राज प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को कलमजन किये जाने के साथ ही प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पेश कर्दा साक्ष्य, दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य स दावा, पूर्ण रूप से साबित एवं काबिले डिक्री किये जाने योग्य है। रैस्पो0 द्वारा बन्दोबस्त कर्मचारियों से साज करते हुए विवादित आराजी का इन्द्राज गलत रूप से अपने हक में करा लिया। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का पूर्व में कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में ह। विवादित आराजी अपीलाण्ट की उनके पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त एवं खातेदारी में रही है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है एवं ना ही उस पर विश्वास ना करने का कोई कारण ही अंकित किया है। जबकि रैस्पो0 द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य किसी प्रकार की पेश नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषाक रैस्पों0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर एवं प्रत्येक तनकी का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचना की जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपने दावे को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित तीन तनकियॉ निर्धारित की है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :-

6. **<u>तनकी संख्या 01</u> ''आया विवादित आराजी मे से आराजी खसरा 300, 302, 300/2616, 302/2617 के हिस्सा 1/2 का वादी संख्या 01 तथा 1/2 हिस्से का तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 35 तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 303/2618, 307/2619 के 1/4 हिस्से पर वादी संख्या 01 तथा 1/4 हिस्से पर वादीगण संख्या 02 लगायत 05 तथा 1/4 के तरतीवी प्रतिवादी संख्या 36, 37 व 38 वहिस्सा बराबर तथा 1/4 हिस्सा के तरतीवी प्रतिवादी संख्या 39 खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं''** अपीलाण्ट/वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 300, 302, 303, 307 के नये बटा नम्बरो को दौराने बन्दाबस्त, प्रतिवादीगण/रैस्पो0 की साज से खिलाफ मौका व कब्जा उनके हक में गलत इन्द्राज करना कथन करते हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 21.12. 1983 के अवलोकन से जाहिर है कि हाल खसरा नम्बर 300/2616, 302/2617, 303/2618 व

307/2619 साविक खसरा नम्बर 52, 53 व 54 से बने हैं एवं उक्त खसरा नम्बरान के प्रतिवादीगण/रैस्पो0 अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो उक्त तथ्य का खण्डन करता हो अथवा साविक खसरा नम्बर 52, 53 व 54 कभी उनके कब्जे काश्त अथवा खातेदारी मे रहे हों। बिना दस्तावेजी साक्ष्य, मात्र मौखिक कथन एवं दावें में उल्लेख के आधार पर रैस्पो0 के उक्त कथन तर्कसंगत नहीं माने जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकी वहक रैस्पो0/प्रतिवादीगण तय की है। जिसमें हम हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. **<u>तनकी संख्या 02</u> ''आया वादीगण, प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारो हैं''** अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी हम कोइ त्रुटि नहीं पाते हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 की विवेचनानुसार, अपीलाण्ट/वादी के विवादित आराजी में कोई स्वत्व/अधिकार नहीं पाये गये हैं तो विवादग्रस्त आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न हो नहीं बनता।

8. **<u>अनुतोष</u> –** समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2000 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प डीग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकरी बसीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**

व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :–164 / 2001 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

1. घुर्रू पुत्र मूला जाति फौजदार निवासी ग्राम जाटौली थून तहसील डीग।
   1 / 1. अतर सिंह } पिसरान घुर्रू जाति फौजदार नि0 ग्राम जाटौली थून तहसील डीग।
   1 / 2. बनवारी }

.....................अपीलाण्ट

बनाम

1. सूपरिया पुत्र नत्थी
2. लच्छी } पिसरान गोरधन
3. राजेन्द्र }
4. मोती पुत्र नत्थी
5. छीतरिया } पिसरान पदम
6. नवल }
7. कुन्दन }
8. रतीराम } पिसरान मंगल
9. फत्ते }
10. मान सिंह }
11. विजय सिंह }
12. विजेन्द्र }
13. करन } पिसरान जगराम
14. शिव सिंह }
15. सुक्खा }
16. बदन }
17. मुस0 चम्पा वेवा दलगंजी
18. समय सिंह } पिसरान भम्बू
19. बौलीराम (मृतक) }
    19 / 1. रोहताश पुत्र बौलीराम
20. महावीर पिसरान भम्बू
21. सुल्तान } पिसरान रघुवीर
22. श्याम सिंह }
23. चतरी } पिसरान कुन्दन
24. हीरा }
25. धन्ना }
26. मटेर }
27. नत्थी पुत्र राम सिंह
28. जसमत पुत्र चरनी

} जाति फौजदार निवासी ग्राम जाटौली थून, डीग।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29. पांच्या पुत्र कलुआ
30. दामो पुत्र किशन (मृतक)
30/1. झण्डा सिंह
30/2. सुकत } पिसरान दामो
31. राजपाल } पिसरान किशन जाति फौजदार निवासी ग्राम जाटौली थून, डीग।
32. रूग्गो
33. किशोर
34. सूरज } पिसरान परमा
35. रूपी
36. प्रभू पुत्र भीमा जाति जाट निवासी ग्राम मुढैरा तहसील नगर।
37. मुस0 सुखिया वेवा घमतू पुत्र भगवान।
38. नन्दली } पिसरान बदले जाति कुम्हार नि0 ग्राम गंगावक तह0 नगर।
39. गंगाधर
40. जयश्री पुत्र किशोरी जाति फौजदार नि0 ग्राम नगला परसराम मजरा जाटौली थून तह0 डीग।

.... असल रेस्पोडेण्ट

41. गोकल
42. सीयाराम } पिसरान तेज सिंह जाति फौजदार(ठाकुर) नि0 ग्राम जाटौली थून तह0 डीग।
43. कप्तान
44. हरीराम

........................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीग प्र0स0 204/88 उनवानी घुरूं बनाम सूपरिया।

यह अपील ....25......................माह......10.............सन्.......2018.........व हमारे ...श्री अनिल कुमार गुप्ता एड मिनजानिब अपीलाण्ट व श्री मुकेश कुमार एड मिनजानिब रेस्पोडेन्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील...............का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग..................................)रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का..... ....अदा करें

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........25...........माह**......10**......सन्..........**2018**....... को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official